पे० स० 80 24.2.2021

FORM NO – 111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

प्रार्थी/परिवादी — **बनाम** — **प्रतिवादी/अभियुक्त**

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधि.
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधि.
सिरोही

मानवीराज सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह,
जाति–राजपूत, निवासी–आनन्द भवन,
नक्की लैक, माउन्ट आबू, जिला–सिरोही
(खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक)

फर्मः किंग्स फूड्स, नक्की लैक, माउन्ट आबू
तहसील–आबूरोड़, जिला– सिरोही

किस्म मुकदमा – धारा 26(2)(ii) एवं 51
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

प्रकरण संख्याः 17 /2021

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
24.2.2021	श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii) एवं 51 के तहत प्रतिवादी अभियुक्त मानवीराज सिंह के विरुद्ध दिनांक 24.2.2021 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 5.4.2012 के द्वारा जिलें में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है। अतः प्रस्तुत न्याय निर्णय आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रकरण में आज दिनांक 24.2.2021 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी मानवीराज सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह, जाति– राजपूत, निवासी– आनन्द भवन, नक्की लैक, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही, मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता, किंग्स फूड्स, नक्की लैक, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही उपस्थित हुये। प्रतिवादी मानवीराज सिंह को नोटिस एवं आरोप पढ़कर सुनाया गया एवं न्याय निर्णय आवेदन पत्र की एक प्रति दिलवाई गई। प्रकरण में प्रतिवादी मानवीराज सिंह ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 11.11.2020 को जिस पनीर का नमूना जांच के लिये लिया गया था वह हमारे रेस्टोरेन्ट से लिया गया है जो जांच रिपोर्ट के ... गया है। जिस पनीर का नमूना जांच हेतु लि... गांव से मंगाया गया था अब ... दिया है तथा अमूल ... लेना शुरु ... दिया है। ... लगातार	मानवीराज 24/2/21

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:07:01 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S. Act Case No 17/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए

अनजाने में हुई भूल के लिये क्षमा प्रार्थी हूँ, भविष्य में अच्छी खाद्य सामग्री का प्रयोग रेस्टोरेन्ट में करुंगा। यह मेरी प्रथम गलती है इसलिये मुझे इस प्रकरण से मुक्त करावे।

प्रकरण में प्रतिवादी मानवीराज सिंह द्वारा उक्तानुसार जवाब प्रस्तुत कर जुर्म/गलती स्वीकार कर ली जाने से प्रकरण में दोनों पक्षों की आज ही बहस सुनी गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी ने अमानक खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय किया है, इसलिये प्रतिवादी पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना किया जावे। जबकि प्रतिवादी ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रकरण से मुक्त करने का अनुरोध किया।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु दिनांक 11.11.2020 को समय 11.15 ए.एम. पर फर्म किंग्स फूड्स, नक्की लैक, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता के हैसियत से प्रतिवादी मानवीराज सिंह पुत्र श्री नरेंद्र सिंह, जाति– राजपूत, निवासी– आनन्द भवन, नक्की लैक, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही उपस्थित मिले, जो होटल में आम जनता को खाद्य पदार्थ पनीर का खाना व सब्जी बनाकर बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा होटल के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ पनीर के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए रेस्टोरेन्ट के अन्दर, स्टील की ट्रे में आम जनता के उपयोग हेतु मौजूद पनीर लगभग 3 किलोग्राम में से एक किलोग्राम पनीर जांच हेतु एक साफ सूखे खाली भिगोनें में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु मौके पर उपस्थित गवाह के समक्ष नियमानुसार कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए उक्त खाद्य पदार्थ पनीर के नमूना संख्या S-1271 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./947/Act/2020/ 98 दिनांक 12.1.2021 के अनुसार अमानक (Sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि फर्म किंग्स फूड्स, नक्की लैक, माउन्ट आबू में खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक प्रतिवादी मानवीराज सिंह ने अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:07:01 IST
Reason: SelfAttested

.....लगातार

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S. Act Case No 17/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
	अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत मानवीराज सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह, जाति– राजपूत, निवासी– आनन्द भवन, नक्की लैक, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही, मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता, फर्म किंग्स फूड्स, नक्की लैक, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 10,000/– (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादी मानवीराज सिंह को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। माफिक निर्णय प्रतिवादी मानवीराज सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह, जाति– राजपूत, निवासी– आनन्द भवन, नक्की लैक, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही ने उस पर आरोपित जुर्माना राशि रुपये 10,000/– (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) का भारतीय स्टेट बैंक, शाखा सिरोही द्वारा जारी डी.डी. नंबर 214921 दिनांक 24.2.2021 का इस न्यायालय में जमा करवाया। अतः इस डी.डी. की राशि जरिये चालान राजकोष में संबंधित मद में जमा करवाई जाकर पत्रावली दाखिल दफतर हो। 24/2/2021 (गितेश श्री मालवीया) **अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट** **सिरोही**	

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:07:01 IST
Reason: SelfAttested